बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक :– प्र०–6 / विविध–54 / 2008 3117(S) पटना, दिनांक :– 05/5/16

प्रेषक,
पंकज कुमार,
सचिव

सेवा में,
सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग ।
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग ।
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग ।

विषयः–संवेदकों के Default के कारण एकरारनामा की शर्त्तों के अधीन एकरारनामा को विखंडित किये जाने की स्थिति में Defaulter यानि पुराने संवेदक की Risk and Cost का दायित्व निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि EPC (item rate), SBD एवं CMBD के आधार पर आवंटित पुल एवं सड़क संबंधित परियोजनाओं के संवेदकों के default के कारण एकरारनामा की शर्त्तों के अधीन एकरारनामा को निरस्त करने की स्थिति में एकरारनामा की संगत प्रावधानों (SBD के clause - 14) के तहत Defaulter यानि पुराने संवेदक के Risk and Cost पर शेष कार्य कराने का प्रावधान है। प्रावधानों के तहत एकरारनामा निरस्त होने की स्थिति में अवशेष कार्य पुराने संवेदकों के Risk and Cost पर कराया जाता है तथा विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर राशि की वसूली पुराने संवेदक के Performance Security तथा any moneys due to the contractor on any account से की जा सकती है। वसूली हेतु राशि पर्याप्त नहीं होने पर PDR (Public demand recovery) Act के तहत कार्रवाई कर संवेदक की चल एवं अचल संपति जब्त कर अथवा निलामी कर वसूली की जा सकती है। पुराने संवेदक की Risk and Cost दायित्व निर्धारित करने की क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सही जानकारी नहीं होने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाईयों एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है।

2 सरल भाषा में Risk and Cost का तात्पर्य यह है कि शेष बचे हुए कार्य के नये qualified न्यूनतम निविदादाता (L1 संवेदक) की अनुमोदित निविदा राशि एवं तदनुसार संबंधित नये संवेदक को देय price escalation की राशि के योग में से Defaulter यानि पुराने संवेदक को देय राशि (शेष बचे हुए कार्य का पुराने संवेदक का एकरारित दर के

5/5/2016

अनुसार civil cost की राशि एवं योजना के पूर्ण होने की एकरारित तिथि तक अथवा कार्य पूरा करने की स्वीकृत विस्तारित तिथि तक admissible escalation की राशि का योग) को घटाकर जो राशि निकलती है वही राशि पुराने संवेदक से वसूलनीय है। Escalation का तात्पर्य price adjustment for increase or decrease in the cost of material and labour etc. as per contract agreement है।

2.1 इसे एक निम्न सरल उदाहरण से भी समझा जा सकता है –

(i)	परियोजना की लागत	100 करोड़
(ii)	परियोजना प्रारंभ करने की तिथि	01.01.13
(iii)	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	01.01.2015
(iv)	परियोजना पूरा करने की विस्तारित तिथि	01.01.2016
(v)	विस्तारित अवधि तक किये गये कार्य की अनुमानित राशि	40 करोड़
(vi)	शेष बचे कार्य की राशि	60 करोड़
(vii)	शेष बचे हुए कार्य पर उक्त विस्तारित तिथि तक admissible price escalation की राशि	15 करोड़
(viii)	नये चयनित संवेदक का अनुमोदित निविदा की राशि	90 करोड़
(ix)	नए एकरारनामा के अनुरूप कार्य पूरा करने की निर्धारित समय में नए संवेदक द्वारा किए गए कार्य के विरूद्ध नियमानुसार देय price escalation की राशि	10 करोड़
(x)	पुराने संवेदक से वसूलनीय राशि [(90+10)–(60+15)]	25 करोड़

3. पुराने संवेदक को आवंटित मूल कार्य का एकरारनामा के अतिरिक्त Change of scope के तहत अतिरिक्त कार्य आवंटित होता है और इसके लिए समानुपातिक समयवृद्धि भी दी जाती है और संवेदक के दोष के कारण एकरारनामा निरस्त होता है तो मूल एकरारनामा का शेष कार्य तथा Change of scope के अधीन शेष कार्य का कुल योग

पुराने संवेदक के risk and cost में गणना की जाएगी। उदाहरण स्वरूप उदाहरण निम्नवत है :–

(i)	परियोजना की लागत	100 करोड़
(ii)	परियोजना प्रारंभ करने की तिथि	01.01.2013
(iii)	एकरारनामा के अनुसार परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	01.01.2015
(iv)	एकरारनामा निरस्त करने के पूर्व Change of scope की स्वीकृत राशि	20 करोड़
(v)	Change of scope के कारण कार्य पूरा करने की संशोधित तिथि	30.05.2015
(vi)	परियोजना पूरा करने की विस्तारित तिथि	30.06.2016
(vii)	विस्तारित अवधि तक मूल एकरारनामा के अधीन किये गये कार्य की राशि	40 करोड़
(viii)	विस्तारित अवधि तक Change of scope के अधीन किये गये कार्य की राशि	05 करोड़
(ix)	मूल एकरारनामा के अधीन शेष बचे हुए कार्य की राशि	60 करोड़
(x)	Change of scope के अधीन बचे कार्य की राशि	15 करोड़
(xi)	विस्तारित अवधि तक शेष बचे कुल कार्य की राशि [(100+20)–(40+5)]	75 करोड़
(xii)	मूल एकरारनामा के अधीन शेष बचे हुए कार्य पर उक्त क्रमांक vi के अनुसार विस्तारित तिथि तक admissible price escalation की राशि	15 करोड़
(xiii)	Change of scope के अधीन उक्त क्रमांक vi के अनुसार विस्तारित तिथि तक admissible price escalation की राशि (यदि Change of scope के अन्तर्गत कार्य मदों का दर मूल एकरारनामा के दर पर आधारित है तो मूल एकरारनामा के मदों के लिए एकरारनामा के अधीन price escalation के प्रावधानों के अनुसार ही Change of scope के अन्तर्गत कार्य मदों के price escalation की गणना की जायेगी। परन्तु Change of scope हेतु यदि नया दर अनुमोदित है तो नये दर के अनुमोदित होने की तिथि से price escalation की गणना की जायेगी)	01 करोड़
(xiv)	नये चयनित संवेदक का अनुमोदित निविदा की राशि	115 करोड़
(xv)	नये एकरारनामा के अनुरूप कार्य पूरा करने की निर्धारित समय में नए संवेदक द्वारा किए गए पूर्ण कार्य के विरूद्ध नियमानुसार देय price escalation की राशि	15 करोड़
(xvi)	पुराने संवेदक से वसूलनीय राशि [(115+15)–(75+15+1)]	39 करोड़

[signature] 5/5/2016

4. संविदा निरस्त होने के पश्चात् पुराने संवेदक का उक्त कुल शेष कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य नया Change of scope जोड़कर निविदा प्राप्त किया जाता है तो इस Change of scope के संदर्भ में पुराने संवेदक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। उदाहरणस्वरूप पहले यदि सड़क 2 lane में चौड़ीकरण होना था और बाद में एक नई बाईपास बढ़ जाती है तो इस नई बाईपास पर लगने वाली राशि के संबंध में पुराने संवेदक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

सभी संबंधित उक्त निदेशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार)

ज्ञापांक :– प्र०–6 / विविध–54 / 2008 3117(5) पटना, दिनांक :– 05/5/16
प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Soft copy की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय website पर upload कराने हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार)

ज्ञापांक :– प्र०–6 / विविध–54 / 2008 3117(8) पटना, दिनांक :– 05/05/16
प्रतिलिपि– माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

(पंकज कुमार)

05.05.16

S/c